(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 39/2024-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि.... (अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 780 (अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्द्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(I) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"4 क.	सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला लुब्रिकेटिंग तेल अब भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान के या भारतीय वायुसेना के किसी वायुयान में आयात किया गया हो	भारत से प्रस्थान के समय ऐसे वायुयान के इंधनो में शुल्क संदत्त लुब्रिकेटिंग तेल पर यथा स्थिति, सीमाशुल्क के ड्रॉबैक या एकीकृत कर का रिफंड अनुज्ञात नहीं किया गया था; स्पष्टीकरण: - "लुब्रिकेटिंग तेल" से ऐसा किसी भी प्रकार का तेल अभिप्रेत है जिसका साधारण तौर पर लुब्रिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जिनमे किसी भी प्रकार का ऐसा हाइड्रोकार्बन तेल सम्मिलित है जिनका प्रकाश बिंदु 93.3° सेंटीग्रेड है ।
4 ख.	भारतीय विमान सेवा या भारतीय वायु सेना के वायुयान के टैंको में ईंधन एविएशन टरबाइन ईंधन के अलावा	(i) उक्त ईंधन की मात्रा ईंधन की उतनी मात्रा के समान है जितनी की यथास्थिति, उसी भारतीय विमान सेवा के या भारतीय वायु सेना, के वायुयानों के टैंको में भारत से बाहर ले जाया गया था और जिस पर सीमा शुल्क या एकीकृत कर का भुगतान किया गया है,

		(ii) यथास्थिति, ऐसे ईंधन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क की दर (जिसमे उक्त धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क भी सम्मिलित है) या एकीकृत कर की दर, ऐसे वायुयानों के आगमन और प्रस्थान के समय समान है, और (iii) ऐसे वायुयानों के भारत से प्रस्थानो के समय ऐसे ईंधन पर, यथास्थिति, सीमा शुल्क की वापसी या एकीकृत कर का रिफंड अनुज्ञात नहीं किया गया था ।";

(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और अंक "और 4" के स्थान पर सिंबल, अंक, अक्षर और शब्द ",4, 4क और 4ख" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) पहले परंतुक में, खंड (ख) में शब्दों "उनके निर्यात के पश्चात तीन वर्ष" के स्थान पर, शब्द "उनके निर्यात के पश्चात पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2024-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं.-45/2017, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 780(अ) 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 46/2023-सीमाशुल्क, तारीख 26 जुलाई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 557(अ), तारीख 26 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।